बिहार सरकार

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

बिहार पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :– 68/14–15

(1) परिचयात्मक :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – राज्य परिवार कल्याण ब्यूरों (शीर्ष 2211), बिहार, पटना।

(ख) अंकेक्षण का लेखावधि – वर्ष 2006–07 से 2011–12 तक

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग, बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री

पदा0 का नाम, पदनाम अवधि सहित – निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार, पटना।

(ङ) अंकेक्षित अविध के लेखा के पदाधिकारी का नाम,

पदनाम एवं कार्यकाल –

1. मो0 नौशाद युसूफ प्रशासी पदाधिकारी दि0–1.4.06 से 09.1.07 तक।

2. सुरेन्द्र कुमार सिंह, प्रशासी पदाधिकारी दि0– 10.1.07 से 08.02.07 तक।

3. मो0 अली, प्रशासी पदा0 दि0– 09.2.07 से 30.11.10 तक (से0 नि0)

4. डा0 सुरेन्द्र प्रसाद, उप निदेशक, सह प्रशासी पदा0 दि0– 8.12.10 से 18.1.11 तक।

5. डा0 जगदीश सिंह, उप निदेशक, सह प्रभारी पदा0 दि0– 19.1.11 से 15.12.11 तक।

6. श्री साँवर भारती प्रशासी पदा0 दि0– 16.12.11 से 31.3.12 तक।

7. श्री शिवेन्दु कुमार सिन्हा, रोकड़ पाल सह लेखापाल दि0– 1.4.06 से 14.08.06 तक।

8. मो0 शहाबउद्दीन, रोकड़ पाल सह लेखापाल दि0– 15.08.06 से 8.1.07 तक।

9. श्री शिवेन्दू कुमार सिन्हा, रोकड़पाल सह लेखापाल दि0– 9.1.07 से 1.5.09 तक।

10. श्री राम राज रजक, रोकड़ पाल सह लेखा पाल दि0 6.5.09 से 31.3.12 तक।

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदा0/कर्म0 का नाम एवं पदनाम – 1. मो0 शहाबुद्धीन रोकड़पाल सह लेखापाल

(छ) वरीय अंकेक्षकों के नाम –

1. श्री अशोक कुमार राकेश वरीय अंकेक्षक

(ज) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि – दि0 09.09.2014

(झ) अंकेक्षण समाप्ति तिथि – दि0 30.12.2014

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – $17\frac{2}{3}$ कार्य दिवस

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' पर अंकित हैं।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र –

(i) अंकेक्षण का प्रकार – सामान्य।

(ii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के आदेश संख्या एवं तिथि – राज्य परिवार कल्याण ब्यूरों बिहार पटना (शीर्ष 2211) का सामान्य अंकेक्षण विभागीय ज्ञापांक 3286 दिनांक 15.9.60 एवं ज्ञापांक 132 दिनांक 16.12.13 के निहित निर्देशों के अनुसार उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न किया गया।

(iii) कार्यालय का कार्यक्षेत्र – इस कार्यालय द्वारा राज्य में परिवार कल्याण से संबंधित केन्द्र प्रायोजित याजनाओं को सुचारू रूप से कार्यान्वयन, उसका अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का कार्य किया जाता है, परन्तु विगत वर्षो से अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण का कार्य लगभग बन्द के कगार पर हैं। जिसे सुदृढ़ किया जाना आवश्यक हैं।

(iv) वित्तीय स्त्रोत – आवंटन।

(v) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति :– अंकेक्षित अवधि में कोषागार से निकासी एवं जमा राशियों का सत्यापन, सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना के अभिलेखों एवं कम्प्यूटर में दर्ज प्रविष्टि से शत् प्रतिशत् किया गया एवं सही पाया गया।

(vi) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :– अंकेक्षण में पूर्व के निरीक्षण प्रतिवेदन अनुपालन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

(vii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति :– वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व का अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुपालन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

(3) वित्तीय समीक्षा :–

(1) आवंटन की स्थिति में :– क्या आवंटन से अधिक की निकासी की गयी हैं – नहीं।

(2) अनुदान की स्थिति में :– क्या अनुदान से अधिक राशि का व्यय किया गया– नहीं।

(3) प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को प्रेषित किया गया था। – लागू नहीं।

(4) रोकड़ पंजी में संवरण शेष का भौतिक सत्यापन की स्थिति :– वित्त (अंकेक्षण) विभागीय ज्ञापांक 503 दिनांक 29.1.76 के निहित निर्देशानुसार अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि 9.9.14 संवरण शेष का भौतिक सत्यापन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कराया गया। उक्त तिथि को रोकड़ पुस्त में रोकड़ का ब्योरा निम्न प्रकार अंकित किया गया था। दिनांक 09.9.14 का संवरण शेष रू0 142,36,679.43 का विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार हैं।

(1) प्रशासी पदाधिकारी के पदनामित एस0 बी0 आई सचिवालय सिंचाई भवन पटना के खाता सं0 – 10839124361 में जमा राशि	– 11526533.70
(2) अभिश्रव एवं संबंधित पूर्व का अग्रिम	– 2593845.73
(3) पदाधिकारी एवं कर्मचारी के पास अग्रिम की राशि	– 120000.00
(4) दिनांक 30.4.09 को योग में गड़बड़ी का सुधार	(–) – 3700.00
कुल रू0	– 14236679.43

अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि 9.9.14 को रोकड़ के भौतिक सत्यापन की समीक्षा से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के पूर्व से ही अभिश्रव तथा पदाधिकारियों एंव कर्मचारियों के पास एक बड़ी राशि अग्रिम के रूप में समायोजन हेतु लम्बित है जो घोर आपत्ति जनक हैं। इसके समायोजन हेतु कोई कार्रवाई की गयी या नहीं इस संबंध में कोई संचिका उपस्थापित नहीं किया गया। समायोजन करने की कारवाई की जाए। यह भी उल्लेखनीय है कि अभिश्रव एंव संबंधित पूर्व का अग्रिम समेकित रूप से रोकड़ पुस्त में अंकित है जिसे अलग–अलग कर अंकित किया जाय। इस संबंध में प्रशासी विभाग का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता हैं।

4. रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की स्थिति :–

(क) वित्तीय वर्ष – 2006–07

प्रारम्भण रोकड़ – 11032620.27

संवरण रोकड़ – 11473674.99

(ख) वित्तीय वर्ष – 2007–08

प्रारम्भण रोकड़ – 11473674.99

संवरण रोकड़ – 10788151.51

(ग) वित्तीय वर्ष 2008–09

प्रारम्भण रोकड़ – 10788151.51

संवरण रोकड़ – 11675455.51

(घ) वित्तीय वर्ष 2009–10

प्रारम्भण रोकड़ – 11675455.51

संवरण रोकड़ – 11706278.43

(ड़) वित्तीय वर्ष 2010–11

प्रारम्भण रोकड़ – 11706278.43

संवरण रोकड़ – 12319311.43

(च) वित्तीय वर्ष 2011–12

प्रारम्भण रोकड़ – 12319311.43

संवरण रोकड़ – 12698821.43

दिनांक 31.3.12 के संवरण शेष रू0 12698821.43 का विस्तृत ब्यौरा निम्न प्रकार हैं।

(i) प्रशासी पदाधिकारी के पदनामित एस0 बी0 आई0
सचिवालय, सिंचाई भवन, पटना में खाता सं0
10839124361 में जमा राशि – 99,28,675.70

(ii) अभिश्रव एवं संबंधित पूर्व का अग्रिम – 25,93,845.73

(iii) पदा0 एवं कर्मचारियों को अग्रिम – 1,10,000.00

(iv) शासकीय टिकट हेतु बैंक ड्राफ्ट – 50,000.00

(v) श्री गोपाल शर्मा रोकड़ पाल, स्वा0
विभाग को दी गयी अग्रिम जिसे 22.4.10
को पृ0 सं0–42 पर भूलवश भुगतान
दिखाया गया था जिसका संधारण किया गया – 20,000.00

कुल – 12702521.43

(vi) दिनांक 30.4.09 को योग की गड़बड़ी में

सुधार – (–) 3700.00

कुल योग – 12698821.43

<u>वित्तीय परिशंसा :-</u>

राज्य परिवार कल्याण ब्यूरों बिहार, पटना के वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2011–12 में शीर्ष 2211 परिवार कल्याण केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना में प्राप्त आवंटन एवं व्यय विवरणी अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'ख' पर द्रष्टव्य हैं। जिसके अवलोकन से स्पष्ट होगा कि विभिन्न मदों में आवंटन से कम व्यय के फलस्वरूप बचत राशि का प्रत्यापर्ण किया गया था, परन्तु वर्ष 06–07 से 11–12 तक प्रत्यार्पण से संबंधित कोई संचिका या पत्र अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किए जाने के कारण जानकारी नहीं हो सकी। प्रशासी विभाग उत्तरदायी व्यक्ति पर अपने स्तर से उचित कार्रवाई करे कि क्यों बची राशि का प्रत्यापर्ण नहीं किया गया, की गई कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी अवगत कराया जाए। आवंटन व्यय विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवर्ष आवंटन के लगभग 50 प्रतिशत राशि बची रह जाती है, जिसका उपयोग उचित ढ़ग से नहीं हो पाता है, जो बिहार बजट नियमावली के नियम 113–117 के विरूद्ध हैं।

अतः आवंटन स्वीकृत करते समय इस बात पर विशेष ध्यान देने की ओर सक्षम पदाधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता हैं।

5. अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण :-

राज्य परिवार कल्याण ब्यूरों, बिहार, पटना के स्वीकृत एवं कार्यरत बलों की सूची परिशिष्ट 'ग' पर अंकित हैं।

<u>भाग– 2</u>

(6) (क) कर्ज के रूप में दी गयी अग्रिम की राशि रू0 35000.00 वसूली योग्य :-

रोकड़ पंजी वर्ष 06–07 से 11–12 एवं अन्य संबंधित अभिलेखों के जाँच क्रम में पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों एवं पदाधिकारीयों को कर्ज के रूप में (as a Loan) दिनांक 7.3.08 को रू0 35000.00 का भुगतान किया गया था। जिनके द्वारा यह राशि आज तक वापस नहीं की गयी है जिसका विवरण निम्नवत हैं।

क्रम सं0	नाम एवं पदनाम	चेक सं0	भुगतान तिथि	राशि	अभ्युक्ति
1	श्री चन्द्रिका प्रसाद, लेखापाल	419525	7.03.08	5,000.00	उदेश्य अस्पष्ट
2	श्री उपेन्द्र नारायण महतो प्रा0 पदा0 S-4	419522	7.03.08	10,000.00	''
3	श्री सुबोध चन्द्र दास प्र0 पदा0 – S-2	419523	7.03.08	10,000.00	''
4	श्री सुरपति नारायण सिं प्र0 पदा0 – S-8	419524	7.03.08	10,000.00	''
			कुल योग –	35,000.00	

इन सभी कर्मियों का स्थापना भी ब्यूरों कार्यालय से अलग है, एवं दी गयी अग्रिम की राशि प्रशासी प्रदाधिकारी के खाते से जो कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना की राशि है से दी गयी हैं। इस राशि के वसूली से संबंधित कोई भी कार्रवाई कार्यालय द्वारा नहीं की गयी थी। इस प्रकार यह भुगतान नियम के विरूद्ध एवं अनियमित हैं।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन में कहा गया कि वसूली की कार्रवाई की जा रही है, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक वूसली की कार्रवाई नहीं गयी। सरकारी कोष से कर्ज देना अनियमित हैं। अतः प्रशासी विभाग द्वारा कार्य स्वीकृत करने वाले पदाधिकारी पर आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित हैं। कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत कराया जाए।

अतः अविलम्ब सम्बन्धित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों से अनियमित भुगतान की राशि रू0 35000.00 की वसूली कर संबंधित शीर्ष में जमा किया जाय, तथा इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी दी जाय।

(ख) आयकर मद में रू0 28594.00 कम कटौती कर राजस्व की क्षति :–

शीर्ष 2211 प0 क0 के वेतन भुगतान पंजी एवं वर्ष 07–08 का आयकर विवरणी के जाँच में पाया गया कि श्री शिवेन्द्र कुमार सिन्हा, रोकड़ पाल को वर्ष 07–08 में वेतन मद कुल रू0 196603.00 एवं विपत्र सं0 97/07–08 दिनांक 28.3.08 को ए0 सी0 पी0 का बकाया राशि रू0 175351.00 यानि वर्ष 07–08 में कुल रूपया 371954.00 का भुगतान किया गया था।

ज़बकि संलग्न आयकर कटौती विवरणी एवं टी0 डी0 एस0 वर्ष 07–08 के जाँच क्रम में पाया गया कि आयकर कटौती की राशि शून्य दिखाया गया था एवं अन्य कोई संशोधित टी0 डी0 एस0 भी नहीं दिखाया गया। सिर्फ ए0 सी0 पी0 का बकाया राशि भुगतान मे से रू0 5000.00 की आयकर की कटौती की गयी थी।

जबकि आयकर की धारा 1961 केलेक्सन 203 के नियम 31(1)(a) के अनुसार बकाया राशि का भुगतान करते समय पूर्व के टी0 डी0 एस़ को संशोधित कर कुल आयकर की देय राशि की कटौती करना आवश्यक था। 89(1) से संबंधित राहत के लिए दावा भी नहीं किया था। परन्तु

कार्यालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया था। इस प्रकार संशोधित आयकर की गणना निम्न प्रकार किया जाना चाहिए था।

आयकर की गणना वित्तीय वर्ष 07–08

कुल आय – रू0 371954.00

परिवहन एवं मकान

किराया कटौती(–) – 19341.00

कुल आय रू0 – रू0 352613.00

धारा 80(c) के तहत कटौती (–) रू0 73890.00

कर योग्य आय – 278723.00

या – 278720.00

आय–कर की गणना

110000 = शून्य

40000 @ 10 % = 4000.00

100000 @ 20% = 20000.00

28720@30%= 8616.00

कुल रू0 – 32616.00

3% शिक्षा शेष – 978.00

कुल देय आयकर – 33594.00

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2007–08 में कुल आयकर की देय राशि रूपया 33594.00 होता है जबकि आयकर कटौती सिर्फ रू0 5000/– ही की गयी थी, अतः (33594.00–5000.00)

=28594.00 रू0 आयकर में कम कटौती कर राजस्व की क्षति की गयी थी, एवं आयकर की देय राशि समय पर जमा नहीं किए जाने के कारण कर की राशि पर शासित भी अधिरोपित किया जाना आवश्यक है, जिसकी गणना विभागीय स्तर पर किया जाय। इस संबंध में आपत्ति निर्गत की गयी जिसका अनुपालन किया गया कि छानबीन कर वसूली की कार्रवाई की जा रही हैं। परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक राशि की वसूली नहीं की गयी।

अतः श्री शिवेन्द्र कुमार सिन्हा रोकड़पाल से रू0 28594.00 एवं शासित की राशि की वसूली कर आयकर शीर्ष में जमा कर इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को भी दी जाय।

(ग) अस्थायी अग्रिम की राशि रू0 10,000.00 वसूली योग्य :–

अग्रिम पंजी एवं रोकड़ पंजी के जाँच क्रम में पाया गया कि श्री दिलीप कुमार पासवान प्र0 पदा0–2 को दिनांक 17.10.11 को चेक सं0 –419542 द्वारा कुल रू0 10,000.00 का अग्रिम भुगतान किया गया था जिसका समायोजन की अभी तक लम्बित हैं।

जबकि इतने लम्बी अवधि तक अग्रिमों का समायोजन नहीं किया जाना वित्तीय नियम के प्रतिकूल हैं।

निर्गत आपत्ति के अनुपालन में कहा गया कि समायोजन की कार्रवाई की जा रही है, परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक समायोजित नहीं की गयी।

चूँकि यह राशि केन्द्र प्रायोजित योजना से संबंधित है , उसे समायोजित कर या वसूली कर जमा किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक हैं।

अतः शीध्र श्री दिलीप कुमार पासवान को दी गयी अग्रिम की राशि रू0 10,000.00 की वसूली कर जमा किया जाय, साथ ही साथ, अंकेक्षण अवधि के पूर्व की अग्रिम एवं

अभिश्रव की राशि की वसूली या समायोजन हेतु भी कारवाई की जाय तथा कृत कारवाई की सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को दी जाय।

(घ) ईंधन मद में भुगतान की राशि रू0 175000.00 समायोजन हेतु लम्बित राशि, वसूली योग्य :–

शीर्ष 2211 प0 क0 के रोकड़ पुस्त वर्ष 2006–07 के जाँच क्रम में पाया गया कि मेर्सस गौसोबिन (प्रा0) लिमिटेड पटना को गाँडियों के ईंधन हेतु रू0 175000.00 अग्रिम स्वरूप भुगतान प्रशासी पदाधिकारी के खाता सं0 10839124361 से किया गया था। जिसका विवरण निम्नवत हैं।

क्र0 सं0	फर्म का नाम	भुगतान तिथि	चेक सं0 एवं तिथि	राशि	अभ्युक्ति
1	मेर्सस गैसोलिन प्रा0 लिमिटेड पटना।	1.4.06	419503 दि0 1.4.06	50,000.00	
2	वही	26.6.06	419508 दि0 26.6.06	25,000.00	
3	वही	2.8.06	419509 दि0 2.8.06	50,000.00	
4	वही	23.11.06	419513	50,000.00	

			दि0 23.11.06		
			कुल रू0–	175000.00	

जाँच क्रम में पाया गया कि उक्त अस्थायी अग्रिम की राशि अंकेक्षण समाप्ति तक समायोजन किया हुआ नहीं पाया गया, जबकि इस राशि का समायोजन कर प्रशासी पदाधिकारी के खाता में जमा करना अत्यन्त ही आवश्यक हैं। क्योंकि यह राशि केन्द्र प्रायोजित योजना की राशि से भुगतान की गयी थी जो कि अनियमित हैं।

अतः उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि आवश्यक कार्रवाई कर शीध्र रू0 175000.00 की अग्रिम राशि का समायोजन कर तथा प्राप्त आवंटन से निकासी कर राशि को प्रशासी पदाधिकारी के खाता में जमा किया जाय एवं सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को भी दिया जाय।

इस प्रकार उस कंडिका क+ख+ग+घ की राशि क्रमशः

35000+28594+10,000+175000= 248594.00 का वसूल कर संबंधित शीर्ष एवं खाता में जमा करते हुए वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाए।

(7) (क) रू0 1064414.73 आपत्ति अन्तर्गत कुल रू0 232906.73 का अभिश्रव अनुपलब्ध व्यय आपत्तिन्तर्गत :–

शीर्ष 2211 प0 क0 के रोकड़ पुस्त के वर्ष 2006–07 एवं 07–08 (दिनांक– 25.5.07 तक) के जाँच क्रम में पाया गया कि कुल रू0 232906.73 का व्यय स्टेशनरी एवं अन्य सामग्रियों के क्रय पर किया गया था। जिसकी विवरणी परिशिष्ट 'घ' पर द्रष्टव्य हैं। इस व्यय से संबंधित अभिश्रव की माँग बार–बार की गयी परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक

अभिश्रव प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके व्यय की सत्यापन की जाँच नहीं कि जा सकी। निर्गत आपत्ति के अनुपालन में कहा गया कि पूर्व के लेखापाल द्वारा प्रभार में नहीं जिनके कारण उपलब्ध नहीं हो जा रहा हैं।

अतः कुल व्यय की गयी राशि रू0 232906.73 का अभिश्रव उपलब्ध कर एवं सक्ष्य पदाधिकारी से वास्तविकता की जाँच कर वस्तु स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी अवगत कराया जाय। जब तक रू0 232906.73 के व्यय को आपत्तिन्तर्गत रखा जाता हैं।

(ख) कुल रू0 831508.00 का उपयोगिता प्रमाण पत्र अनुपलब्ध व्यय आपत्तिन्तर्गत :–

शीर्ष 2211 प0 (क) के रोकड़ पुस्त वर्ष 06–07 एवं 07–08 के जाँच क्रम में पाया गया कि सचिव भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को कुल रू0 831508.00 का भुगतान किया गया था एवं व्यय अंकित किया गया था। जिसका विवरण निम्नवत् हैं।

क्र0 सं0	भुगतान तिथि	चेक सं0 एवं तिथि	राशि	अभ्युक्ति
1	29.11.06	544475 दि0 14.11.06	300000.00	
2	31.1.08	419520 दि0 31.1.08	531508.00	
		कुल रू0	831508.00	

इस व्यय से संबंधित संचिका व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र की माँग बार–बार की गयी परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे व्यय की जाँच नहीं की गई। इस संबंध में आपत्ति निर्गत की गयी परन्तु अभिलेख उपस्थापित नहीं किया।

व्यय की राशि कुल राशि रू0 831508.00 का व्यय विवरण सह उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कर एवं सक्षम पदाधिकारी से जाँच कर वस्तु स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी सूचित किया जाय, जबतक सम्पूर्ण राशि रू0 831508.00 के व्यय को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता हैं।

उप कंडिका 'क' +'ख' की राशि क्रमशः रू0 232906.73+831508.00 =1064414.73 के व्यय को आपत्ति अंतर्गत रखा जाता हैं।

(8) बिना प्रयोजन रोकड़ पुस्त के संवरण शेष में अव्यवहृत पड़ी राशि रू0 8437049.54 सरकारी कोष में जमा या संबंधित विभाग को वापस करने का सुझाव :–

वर्ष 2006–07 के रोकड़ पुस्त के संवरण शेष के जाँच क्रम में पाया गया कि दिनांक 31.3.06 को एस0 बी0 आई0 सिंचाई भवन, पटना के खाता सं0 – 10839124361 जो प्रशासी पदाधिकारी के नामित है, में रू0 8437049.54 अवशेष के रूप में पड़ी हुई है, और यह भी पाया गया कि इस राशि में अग्रेतर बढ़ोतरी भी होती रहती हैं। जबकि संवरण शेष की राशि अंकेक्षण अवधि के पूर्व वर्षो से बिना प्रयोजन लम्बित है ऐसा प्रतीत होता है कि इस राशि का व्यय संभव नहीं हैं। जो बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 176 के विरूद्ध हैं।

इस अवशेष राशि के सम्बन्ध में विस्तृत ब्यौरा देने हेतु आपत्ति निर्गत की गयी परन्तु कार्यालय द्वारा अनुपालन किया गया कि यह राशि केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत परिवार कल्याण से संबंधित राशि है जिसका विस्तृत ब्यौरा देना सम्भव नहीं हैं। इस प्रकार अनुपालन संतोषप्रद नहीं पाया गया।

अतः उपर्युक्त संवरण शेष की राशि रू0 8437049.54 एंव वर्ष 06–07 के बाद भी अद्यतन तिथि तक रोकड़ पुस्त में अगर अव्यवहृत रूप से पड़ी राशि है तो उस राशि की ओर भी उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि प्रशासी विभाग अपने स्तर से अवशेष राशि की छानबीन कर राशि को सरकारी कोष में अथवा राशि उपलब्ध कराने वाली विभाग को वापस कर प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

(9) ब्याज की राशि रू0 1918916.49 सरकारी कोष में जमा अथवा संबंधित विभाग को वापस करने का सुझाव :–

वर्ष 2006–07 से 11–12 तक रोकड़ पंजी के जाँच में पाया गया कि ब्याज के रूप में रू0 1918916.49 की राशि रोकड़ पुस्त में अंकित है, जिसका विवरण निम्नवत् हैं।

क्र0 सं0	ब्याज प्राप्ति की तिथि	ब्याज की राशि	अभ्युक्ति
1	30.6.06	145185.49	
2	21.2.07	147634.00	
3	30.6.07	149325.00	
4	14.5.08	151939.00	
5	1.6.08	154230.00	
6	18.2.09	153834.00	
7	26.4.10	160810.00	
8	17.5.10	156926.00	
9	26.11.10	163105.00	

10	18.10.11	165734.00	
11	22.7.11	173805.00	
12	5.1.12	196389.00	
	कुल रू0 –	1918916.49	

यह ब्याज की राशि एस0 बी0 आई सिंचाई भवन, पटना के खाता सं0 10839124361 जो प्रशासी पदाधिकारी के नाम से है उससे प्राप्त हुई थी जो अभी तक रोकड़ पुस्त में रखा जा रहा हैं।

इस राशि को कोषागार में जमा करने हेतु आपत्ति निर्गत की गयी तब कार्यालय द्वारा अनुपालन कर बताया गया कि छानबीन कर जमा करने की कार्रवाई की जायगी। परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक न तो राशि को जमा किया गया और नहीं राशि उपलब्ध कराने वाली विभाग को भी वापस नहीं किया गया। ब्याज की राशि व्यय करने का भी कोई परिपत्र बार–बार माँगने के बाद नहीं दिखाया गया। ब्याज की इतनी बड़ी राशि रोकड़ पुस्त में रखे जाने से वित्तीय अनियमितता होने की प्रबल संभावना बनी रहती हैं।

अतः ब्याज की राशि रू0 1918916.49 की ओर उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि प्रशासी विभाग अपने स्तर से राशि की छान बीन कर राशि को सरकारी कोष अथवा राशि उपलब्ध कराने वाली विभाग को वापस कर इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को भी दिया जाय।

(10) अंकेक्षक का संक्षिप्त मंतव्य :–

रोकड़ के संवरण शेष का भौतिक सत्यापन नहीं किया जाना :– अंकेक्षण वर्ष 2006–07 से 11–12 तक में ऐसा पाया गया कि रोकड़ के संवरण शेष का भौतिक सत्यापन निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमित रूप से प्रत्येक माह के 15 की एवं 30 की तारीख को नहीं किया गया था, कोषागार संहिता के नियम 86 यथा संशोधित नियम के विरूद्ध हैं। भौतिक सत्यापन नहीं किए जाने के कारण रोकड़ में अनियमितता होने की संभावना बढ़ जाती हैं।

भविष्य में उक्त नियम का परिचालन करने हेतु विभागीय पदाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता हैं।

उप लेखा नियंत्रक

वित्त (अंकेक्षण) विभाग,बिहार, पटना।

<u>मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम एवं पदनाम</u>

(1) शिवनाथ कुमार प्रसाद, व0 अं0 –2

(2)

परिशिष्ट "क" कंडिका "1" से सम्बन्धित

प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

प्रस्तुत अभिलेख :–

1. विपत्र पंजी
2. रोकड़ पंजी
3. आवंटन एवं व्यय पंजी
4. वेतन भुगतान पंजी (अराजपत्रित)
5. वेतन भुगतान पंजी (राजपत्रित)
6. यात्रा भत्ता भुगतान पंजी
7. यात्रा भत्ता विपत्र की कार्यालय प्रति।
8. अग्रिम पंजी, दिनांक 11.6.09 से (11–12)
9. आकस्मिकता पंजी
10. अभिश्रव दिनांक 23.5.07 से 11–12
11. बैंक लेखा पंजी

अंकेक्षण में अप्रस्तुत अभिलेख की सूची :–

1. भंडार पंजी
2. सेवा पुस्त
3. अग्रिम पंजी (1.4.06 से 10.6.09 तक)
4. गाड़ियों का लॉग बुक एवं सेवा इतिहास।
5. निरीक्षण प्रतिवेदन ।
7. पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन।

परिशिष्ट 'ग' कंडिका –5 से संबंधित

राज्य परिवार कल्याण ब्यूरों मुख्यालय अन्तर्गत स्वीकृत बल/कार्यरत बल की सूची इस प्रकार दर्शाया जा रहा हैं।

क्र0	स्वीकृत बल पदनाम सहित	स्वीकृत पद	कार्यरत बल पदनाम सहित
1	अपर निदेशक (फक)	01	नहीं
2	उप निदेशक (फक)/प्रशि0	02	नहीं
3	प्रशासी पदा0	01	01 अवर सचिव प्रतिनियुक्ति निकासी एवं व्ययन पदा0
4	उप निदेशक जन0 शि0 एवं संचार	01	नहीं
5	राज्य डेमोग्राफर (फाक)	01	नहीं
6	सवा0 शिक्षा पदा0	01	नहीं
7	अपर निदेशक के सचिव	01	नहीं
8	सम्पादक सह –सहा0 निदेशक	01	नहीं
9	प्रचार पदा0/श्रव्य दृश्य पदा0	02	नहीं
10	अंकेक्षक पदा0/वरीय अंकेक्षक	01	नहीं
11	वरीय अंकेक्षक–2/वरीय अंकेक्षक	03	नहीं
12	समाज विज्ञान वेता	01	नहीं
13	प्रशाखा पदाधिकारी	01	01 प्रतिनियुक्त
14	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	03	नहीं

15	सहायक प्रचार पदाधिकारी	01	नहीं
16	सहायक	08	04 प्रतिनियुक्त
17	वरीय सांख्यिकी सहायक/सांख्यिकी सहा0	08	नहीं
18	निजी सहायक	02	नहीं
19	टंकक	03	नहीं
20	लिपिक सह–टंकक/भंडा0 /रोकड़/लेखा पाल	04	03
21	सहायक सम्पादनक	01	01
22	आर्टिस्ट सह फोटोग्राफर	01	नहीं
23	चालक	03	01
24	चतुर्थ वर्गिय कर्मचारी/पैकर	12	10
25	सीत श्रृखंला पदाधिकारी	01	नहीं
26	रेफ्रीजेरेटर मैकनिक	03	03
27	सहायक अधिक्षक भंडार	01	नहीं
28	रिर्सच पदाधिकारी	01	नहीं
29	तकनिकी सहायक	01	नहीं

परिशिष्ट 'ख' कंडिका – 4 से संबंधित

शीर्ष 2211 (राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो) बिहार, पटना।

आवंटन व्यय विवरणी वित्तीय वर्ष 2006–07

क्र0 सं0	शीर्ष एवं मद	प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	अवशेष राशि	अधिक व्यय	प्रत्यार्पित राशि	अभ्युक्ति
1	2211 (प0 क0) वेतन एवं भत्ते	5040400.00	6571663.00	189285.00	–	प्रत्यार्पण प्रतिवेदन से संबंधित संचिका अप्रस्तुत	
2	2211 महँगाई वेतन	2016000.00			–		
3	2211 जीवन यापन भत्ता	1411280.00	1706732.00		–		
	कुल –	8467680.00	8278395.00				

)

4	2211 वर्दी	21000.00	19180.00	1820.00	—		
5	2211 यात्रा व्यय	150000.00	27682.00	122318.00	—		
6	2211 कार्यालय व्यय	350000.00	222425.57	127574.43	—		
7	2211 अन्य प्रभार	500000.00	334711.95	165288.05	—		
8	2211 मशीन उपकरण	80000.00	60155.00	19845.00	—		

शीर्ष 2211 (सचिवालय कोषांग आवंटन व्यय विवरणी वर्ष 2006—07)

1	2211 (सं० को०) वेतन एवं अन्य भत्ता महँगाई भत्ता	119820.00	116380.00	3440.00	—		

शीर्ष 2211 (राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो) बिहार, पटना।

आंवटन व्यय विवरणी वित्तीय वर्ष – 2007–08

क्र0 सं0	शीर्ष एवं मद	प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	अवशेष राशि	अधिक व्यय	प्रत्यार्पित राशि	अभ्युक्ति
1	2211 (प0 क0) वेतन एवं भत्ते	5516254.00	5316254.00	200000.00	–	प्रत्यार्पण प्रतिवेदन से संबंधित संचिका अप्रस्तुत	
2	2211 महँगाई वेतन	2240472.00	2140472.00	100000.00	–		
3	2211 महँगाई भत्ता	2349590.00	2231922.00	117688.00	–		
4	2211 वर्दी	35000.00	10135.00	24865.00	–		
5	2211 यात्रा व्यय	150000.00	शून्य	150000.00	–		
6	2211 कार्यालय	350000.00	84092.00	265908.00	–		

	व्यय						
7	2211 मशीन उपकरण	150000.00	17787.00	132213.00	—		
8	2211 सामग्री एवं पूर्तियाँ	300000.00	शून्य	300000.00	—		

शीर्ष 2211 (राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो) बिहार, पटना।

आवंटन व्यय विवरणी वित्तीय वर्ष 2008–09

क्र0 सं0	शीर्ष एवं मद	प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	अवशेष राशि	अधिक व्यय	प्रत्यार्पित राशि	अभ्युक्ति
1	2211 (प0 क0) वेतन एवं भत्ते	5610589.0	4923140.00	687449.00	–	प्रत्यार्पण प्रतिवेदन से संबंधित संचिका अप्रस्तुत	
2	2211 महँगाई वेतन	2165116.00	2123101.00	42015.00	–		
3	2211 जीवन यापन भत्ता	2962888.00	2354096.00	608792.00	–		
4	2211 वर्दी	35000.00	21403.00	13597.00	–		
5	2211 यात्रा व्यय	150000.00	15060.00	134940.00	–		

6	2211 कार्यालय व्यय	350000.00	102038.00	247962.00	—		
7	2211 मशीन उपकरण	150000.00	शून्य	150000.00	—		
8	2211 सामग्री एवं पूर्त्तियाँ	300000.00	शून्य	300000.00	—		

शीर्ष 2211 (राज्य परिवार कल्याण ब्यूरों) बिहार, पटना।

आवंटन व्यय विवरणी वित्तीय वर्ष 2009–10

क्र0 सं0	शीर्ष एवं मद	प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	अवशेष राशि	अधिक व्यय	प्रत्यार्पित राशि	अभ्युक्ति
1	2211 (प0 क0) वेतन एवं अन्य भत्ते	11618800.00	10351040.00	1267760.00	–	प्रत्यार्पण प्रतिवेदन से संबंधित संचिका अप्रस्तुत	
2	2211 कार्यालय व्यय	450000.00	140840.00	309160.00	–		
3	2211 यात्रा व्यय	175000.00	72858.00	102142.00	–		
4	2211 वर्दी भत्ता	36000.00	10684.00	25316.00	–		
5	2211 मशीन उपकरण	175000.00	शून्य	175000.00	–		
6	2211 सामग्री एवं पूर्तियाँ	400000.00	शून्य	400000.00	–		

शीर्ष 2211 (राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो) बिहार, पटना।

आवंटन व्यय विवरणी वित्तीय वर्ष 2010–11

क्र0 सं0	शीर्ष एवं मद	प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	अवशेष राशि	अधिक व्यय	प्रत्यार्पित राशि	अभ्युक्ति
1	2211 (प0 क0) वेतन एवं अन्य भत्ते	16664000.00	8469512.00	8194488.00	—	प्रत्यार्पण प्रतिवेदन से संबंधित संचिका अप्रस्तुत	
2	2211 जीवन यापन भत्ता	5032000.00	2736048.00	2295952.00	—		
3	2211 चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति	250000.00	शून्य	250000.00	—		
4	2211 यात्रा व्यय	140000.00	शून्य	140000.00	—		
5	2211 कार्यालय व्यय	450000.00	198400.00	251600.00	—		
6	2211 वर्दी	36000.00	35861.00	139.00	—		
7	2011 कॉन्फरेंस	95000.00	शून्य	95000.00	—		

	कार्यशाला सेमिनार।						
8	2211 सामग्री एवं पूर्तियाँ	250000.00	शून्य	250000.00	—		
9	2211 अन्य प्रभार	450000.00	शून्य	450000.00	—		
10	2211 मशीन उपकरण	150000.00	शून्य	150000.00	—		

शीर्ष 2211 (राज्य परिवार कल्याण ब्यूरो) बिहार, पटना।

आवंटन व्यय विवरणी वित्तीय वर्ष 2011–12

क्र0 सं0	शीर्ष एवं मद	प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	अवशेष राशि	अधिक व्यय	प्रत्यार्पित राशि	अभ्युक्ति
1	2211 (प0 क0) वेतन एवं अन्य भत्ते	25594700.00	9550210.00	16044490.00	–	प्रत्यार्पण प्रतिवेदन से संबंधित संचिका अप्रस्तुत	
2	2211 चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति	255000.00	शून्य	255000.00	–		
3	2211 यात्रा व्यय	180000.00	19050.00	160950.00	–		
4	2211 कार्यालय व्यय	500000.00	50000.00	450000.00	–		
5	2211 वर्दी	36000.00	18405.00	17595.00	–		
6	2211 कॉन्फेरस कार्यालय सेमिनार	100000.00	शून्य	100000.00	–		

7	2011 सामग्री एवं पूर्तियाँ	280000.00	शून्य	280000.00	—			
8	2211 अन्य प्रभार	480000.00	शून्य	480000.00	—			
9	2211 मोटर गाड़ी (नई गाड़ी का क्रय)	50000000.00	शून्य	50000000.00	—			
10	2211 मशीन एवं उपकरण	90000.00	शून्य	90000.00	—			

परिशिष्ट 'घ' कंडिका – 7'क' से संबंधित

अनुपलब्ध अभिश्रवों कुल रू0 232906.73

क्रमांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय की गयी सामग्री	विपत्र सं0	भुगतान की तिथि	चेक सं0 तिथि	राशि
1	मे0 एन0 के0 ओटो मोबईल राजापुर	वाहन सामग्री	–	21.4.06	–	5425.00
2	मे0 रिको इन्डिया लि0 105 हेम प्लाजा प्रेजर रोड, पटना	कॉपी प्रिंटर मरम्मति	–	23.3.06	419507 दि0 23.06.06	15937.25
3	आदर्श गैरेज बोरिंग रोड, पटना।	वाहन मरम्मति	24/06–07	20.9.06	–	11735.00
4	कृष्णा कंसलटेन्सी सर्विस बोरिंग रोड	स्टेशनरी	41/06–07	20.12.06	–	7616.00

	पटना।					
5	जुनु कम्प्यूटर सहदेव महतो मार्ग, पटना	कम्प्यूटर सामग्री	44/06-07	20.12.06	–	17437.00
6	कृष्णा कंसलटेन्सी सर्विस बोंरिग रोड पटना।	स्टेशनरी	45/06-07	20.12.06	–	6760.00
7	मे0 एस0 एस0 इन्टर प्राइजेज फ्रेजर रोड, पटना।	वैटरी	78/06-07	10.4.07	–	3370.00
8	उपायुक्त कर पश्चिमी क्षेत्र पटना	कर	–	10.4.07	–	480.00
9	के0 सी0 इन्टर प्राइजेज पटना।	विविध सामान	95/06-07	13.4.07	–	33844.00

10	उपायुक्त कर पश्चिमी क्षेत्र पटना।	कर	—	13.4.07	—	1962.00
11	एन0 के0 ऑटोमोबाइल	वाहन सामग्री	66/07–08	19.4.07	—	4240.00
12	उपायुक्त कर पश्चिमी क्षेत्र पटना	—	—	19.4.07	—	381.00
13	मे ए0 एन जी0 सर्विस फेजर रोड, पटना	फोटो कॉपी मशीन मरम्मति	56/07–08	20.4.07	—	13458.00
14	माँ भवानी स्टेशनरी बोंरिग रोड पटना।	स्टेशनरी	80/07–08	20.4.07	—	14974.00
15	माँ भवानी स्टेशनरी बोंरिग रोड पटना।	स्टेशनरी	96/07–08	20.4.07	—	55831.00

16	मे0 एम0 आर0 एफ0 लि0 बैक रोड पटना।	टायर	—	25.4.07	—	10655.95
17	में0 एस0 एस0 इन्टर प्राइजेज फेजर रोड, पटना।	बैटरी	87/07—08	17.5.07	—	3370.00
18	उपायुक्त कर पश्चिमी क्षेत्र पटना।	—	—	17.5.07	—	480.00
19	ज़ूू कम्प्यूटर सहदेव महतो मार्ग, पटना	कम्प्यूटर सामग्री	—	21.5.07	—	22500.00
2	माँ भवानी स्टेशनरी बोंरिग रोड, पटना	स्टेशनरी	—	22.5.07	—	2450.00
					कुल —	232906.73